

राजस्थान



सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 108 /हनुमानगढ़/200.6.....2007

यह प्रमाणित किया जाता है कि दयानन्द एग्लो वैदिक शिक्षण

संस्थान गोलूवाला जिला हनुमानगढ़ का

राजस्थान संस्था अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

द्वितीय दिनांक १ माह जनवरी सन् दो हजार

०९ को हनुमानगढ़ में दिया गया।




रजिस्ट्रार संस्थाएं
हनुमानगढ़

दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षण संस्थान

मण्डी गोलूवाला तह पीलीबंगा जिला - हनुमानगढ़ (राजस्थान)

निर्वाचन दिनांक -

नई प्रबंधकारिणी

क्र. सं.	नाम मय पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1	शिव कुमार / रामेश्वर लाल	शिक्षण	हरदयालपुरा (हनुमानगढ़)	अध्यक्ष	
2	अनुराधा / राम नारायण	अध्ययन	गोलूवाला सिहागान	सचिव	
3	मनोहरी देवी / शोरा राम	गृहणी	हरदयालपुरा (हनुमानगढ़)	उपाध्यक्ष	
4	नाथी देवी / सुल्तान राम	गृहणी	गोलूवाल सिहागान	कोषाध्यक्ष	
5	सवित्री देवी / रामजस वर्मा	गृहणी	अनुपगढ़ श्री गंगानगर	सदस्य	
6	सुमन / संतराम	शिक्षण	हरदयालपुरा (हनुमानगढ़)	सदस्य	
7	सरस्वती / शोरा राम	गृहणी	हरदयालपुरा (हनुमानगढ़)	सदस्य	
8	चन्द्रपाल / रामनारायण	दुकानदार	मटोरिया वाली ढाणी हनुमानगढ़	सदस्य	
9	पारी देवी / चिमना राम	गृहणी	गोलूवाल सिहागान	सदस्य	
10	अंजली / राजाराम	गृहणी	गोलूवाल सिहागान	सदस्य	
11	रामप्रताप / जियाराम	कृषि	गोलूवाला सिहागान	सदस्य	
12	रामेश्वर लाल / सुल्तान राम	कृषि	हरदयालपुरा (हनुमानगढ़)	सदस्य	
13	मैना देवी / मनफूल राम	गृहणी	गोलूवाल सिहागान	सदस्य	
14	हरफूल / रामप्रताप	शिक्षण	गोलूवाला सिहागान	सदस्य	
15	कानाराम / मनीराम	कृषि	चमारखेड़ा गंगानगर	सदस्य	
16	रामचन्द्र / नानूराम	कृषि	हरदयालपुरा (हनुमानगढ़)	सदस्य	
17	राजसिंह / हरनेक सिंह	कृषि	2 के.एच. एम. पीलीबंगा	सदस्य	
18	मदन लाल / भागीरथ	दुकानदार	गोलूवाला सिहागान	सदस्य	
19	चन्द्रकान्ता / कान्हाराम	गृहणी	मटोरिया वाली ढाणी हनुमानगढ़	सदस्य	
20	विमला देवी / सोहन लाल	गृहिणी	उमेवाला (पीलीबंगा)	सदस्य	
21	महाविद्यालय के प्रिंसीपल पदेन सदस्य रहेंगे।				

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षण संस्थान

अनुराधा
सचिव

नाथी देवी

आज दिनांक 28/05/2007 को
यह दस्तावेज संस्था की पञ्जीर
पत्रावली में शामिल है।

रजिस्ट्रार संस्थान
हनुमानगढ़

दयानन्द एंग्लो वैदिक शिक्षण संस्थान गोलूवाला

तुलनात्मक स्टेटमेंट

विधान नियमावली की धारा 03 में किये गये संशोधन का तुलनात्मक स्टेटमेंट निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	विधान की धारा सं.	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
2	03	इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-	इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-
		1. उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार बिना जाति भेदभाव से करना।	1. उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार बिना जाति भेदभाव से करना।
		2. शिक्षा प्रसार हेतु ग्रामीण शहरी व पिछड़े क्षेत्र में शिक्षण संस्था खोलना	2. शिक्षा प्रसार हेतु ग्रामीण शहरी व पिछड़े क्षेत्र में शिक्षण संस्था खोलना
		3. विद्यालय महाविद्यालय के स्थान व भवन व अन्य आधारभूत सुविधा का विस्तार करना।	3. विद्यालय महाविद्यालय के स्थान व भवन व अन्य आधारभूत सुविधा का विस्तार करना।
		4. शिक्षा प्रसार हेतु छात्रावास व परीक्षा केन्द्र की स्थापना करना।	4. शिक्षा प्रसार हेतु छात्रावास व परीक्षा केन्द्र की स्थापना करना।
		5. जरूरतमन्द मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देना पुरस्कार देना व आर्थिक सहायता देना	5. जरूरतमन्द मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देना पुरस्कार देना व आर्थिक सहायता देना
		6. छात्रों के स्वार्थिक विकास हेतु शिक्षा विभाग नियमानुसार शिक्षा प्रदान करना।	6. छात्रों के स्वार्थिक विकास हेतु शिक्षा विभाग नियमानुसार शिक्षा प्रदान करना।
		7. संस्था के प्रयास व अन्य साधनों से प्राप्त सम्पत्ति की सुरक्षा करना।	7. संस्था के प्रयास व अन्य साधनों से प्राप्त सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
		8. महिला शिक्षा को बढ़ावा देना।	8. महिला शिक्षा को बढ़ावा देना।
		9. अनुसूचित जाति जनजाति योजनाओं को लाभ से शिक्षा को बढ़ावा देना।	9. अनुसूचित जाति जनजाति योजनाओं को लाभ से शिक्षा को बढ़ावा देना।
		10. भारतीय संस्कृति द्वारा छात्रों का विकास कर सुयोग्य नागरिक बनाना।	10. भारतीय संस्कृति द्वारा छात्रों का विकास कर सुयोग्य नागरिक बनाना।
		11. दयानन्द एंग्लो वैदिक शिक्षण संस्थान के प्रयास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महिला शिक्षा के साथ साथ पुरुष शिक्षा को भी बढ़ावा देना।	11. दयानन्द एंग्लो वैदिक शिक्षण संस्थान के प्रयास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महिला शिक्षा के साथ साथ पुरुष शिक्षा को भी बढ़ावा देना।
		12. कोई प्रावधान नहीं।	12. जल संरक्षण, नशा मुक्ति चेतना फैलाना, पर्यावरण संरक्षण एवं मानवाधिकारों का संरक्षण करना
		13. कोई प्रावधान नहीं।	13. विरासत एवं ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना एवं राजनैतिक चेतना जाग्रत करना।
		14. कोई प्रावधान नहीं।	14. भ्रष्टाचार उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाएं, साक्षरता चेतना लाना एवं वृक्षारोपण एवं उनकी रक्षा करना।
		15. कोई प्रावधान नहीं।	15. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना व सहयोग करना।
		16. कोई प्रावधान नहीं।	16. गांव में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देना तथा वृद्ध आश्रम का निर्माण व संचालन करना।
		17. कोई प्रावधान नहीं।	17. ग्रामीण व शहरी विकास कार्यों में भाग लेना।

अध्यक्ष

मे.नि.दे.व.

मंत्री

अनुजा दे.व.

कोषाध्यक्ष

सावित्री दे.व.

आज दिनांक 8-9-10 को
यह दस्तावेज संस्था की पंजीयन
पत्रावली में प्रस्तुत है।

Om
रजिस्ट्रार संस्थाएं
हनुमानगढ़

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़

क्रमांक -फा/संस्था/रजि0/ 110 /हनुमानगढ़/ 2006-07

दिनांक 12-1-07

श्री.....
दयानन्द एग्लो वैदिक शिक्षण संस्थान
जोखवाला

विषय :- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के
अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक..... 108/हनुमानगढ़/2006-07
दिनांक 9-1-07) सलंगन है, जिसकी प्राप्ति की सूचना मिजवानों का कष्ट करें। यहां आपका
ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की ओर भी आकर्षित किया जाता है। जिसके प्रावधानों के अनुसार
आपको प्रति वर्ष आमसभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनाएं भेजना जरूरी हैं।

संस्था के मामलों का प्रबंध जिसको सौंपा गया है, उस परिषद समिति या अन्य
शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे
की सूचना मय पद के।

एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की
सूची है, के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया है। संस्था के नियमों और
विनियमों की एक तातारीख सही प्रतिलिपि शासी निकाय के शासकों, संचालकों,
न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हों। इसके
अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि
जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से
पन्द्रह दिन के अन्दर-2 इस कार्यालय को पहुँच जानी चाहिये।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता
है। जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों की पालना करने में विफल रहने वाला अपराध सिद्ध होने पर, ऐसे
अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे
अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिये जिसमें कि ऐसे अपराध के लिये प्रथम अपराध सिद्ध के
पश्चात चूक जारी रहती है, पचास रुपये से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधिनियम प्रस्तुत
की गई सूचना में या धारा 4 (क) के अधिनियम रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों
की या उनमें किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबुझ कर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता या
करवाता है तो वह अपराध सिद्ध होने पर ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा जो दो हजार रुपये तक का हो सकता है।

सलंगन :- मूल प्रमाण पत्र

नोट :- इस कार्यालय में भविष्य में किसी भी प्रकार
का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन
नम्बर एवं वर्ष अंकित करें।


रजिस्ट्रार संस्थाएं,
हनुमानगढ़

दयानंद एंग्लों वैदिक शिक्षण संस्थान

मण्डी गोलूवाला तह पीलीबंगा जिला - हनुमानगढ़ (राजस्थान)

निर्वाचन दिनांक -

नई प्रबंधकारिणी

क्र. सं.	नाम मय पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1	शिव कुमार / रामेश्वर लाल	शिक्षण	हरदयालपुरा (हनुमानगढ़)	अध्यक्ष	
2	अनुराधा / राम नारायण	अध्ययन	गोलूवाला सिहागान	सचिव	
3	मनोहरी देवी / शोरा राम	गृहणी	हरदयालपुरा (हनुमानगढ़)	उपाध्यक्ष	
4	नाथी देवी / सुल्तान राम	गृहणी	गोलूवाल सिहागान	कोषाध्यक्ष	
5	सवित्री देवी / रामजस वर्मा	गृहणी	अनुपगढ़ श्री गंगानगर	सदस्य	
6	सुमन / संतराम	शिक्षण	हरदयालपुरा (हनुमानगढ़)	सदस्य	
7	सरस्वती / शोरा राम	गृहणी	हरदयालपुरा (हनुमानगढ़)	सदस्य	
8	चन्द्रपाल / रामनारायण	दुकानदार	मटोरिया वाली ढाणी हनुमानगढ़	सदस्य	
9	पारी देवी / चिमना राम	गृहणी	गोलूवाल सिहागान	सदस्य	
10	अंजली / राजाराम	गृहणी	गोलूवाल सिहागान	सदस्य	
11	रामप्रताप / जियाराम	कृषि	गोलूवाला सिहागान	सदस्य	
12	रामेश्वर लाल / सुल्तान राम	कृषि	हरदयालपुरा (हनुमानगढ़)	सदस्य	
13	मैना देवी / मनफूल राम	गृहणी	गोलूवाल सिहागान	सदस्य	
14	हरफूल / रामप्रताप	शिक्षण	गोलूवाला सिहागान	सदस्य	
15	कानाराम / मनीराम	कृषि	चमारखेड़ा गंगानगर	सदस्य	
16	रामचन्द्र / नानूराम	कृषि	हरदयालपुरा (हनुमानगढ़)	सदस्य	
17	राजसिंह / हरनेक सिंह	कृषि	2 के.एच. एम. पीलीबंगा	सदस्य	
18	मदन लाल / भागीरथ	दुकानदार	गोलूवाला सिहागान	सदस्य	
19	चन्द्रकान्ता / कान्हाराम	गृहणी	मटोरिया वाली ढाणी हनुमानगढ़	सदस्य	
20	विमला देवी / सोहन लाल	गृहिणी	उमेवाला (पीलीबंगा)	सदस्य	
21	महाविद्यालय के प्रिंसीपल पदेन सदस्य रहेंगे।				

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
शिव कुमार
दयानंद एंग्लों वैदिक शिक्षण संस्थान

अनुराधा
सचिव
दयानंद एंग्लों वैदिक शिक्षण संस्थान

नाथी देवी
कोषाध्यक्ष

आज दिनांक 28/05/2017 को
यह दस्तावेज संस्था की पंजीकृत
पत्रावली में शामिल है।

रजिस्ट्रार संस्थान
हनुमानगढ़

राजस्थान



सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 108 /हनुमानगढ़/200.6.....2007

यह प्रमाणित किया जाता है कि दयानन्द एवलो वैदिक शिक्षण

संस्थान गोलूवाला जिला हनुमानगढ़ का

राजस्थान संस्था अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज



11 माह जनवरी सन् दो हजार

07 को हनुमानगढ़ में दिया गया।


रजिस्ट्रार संस्थाएं
हनुमानगढ़

दयालंद पंक्तों वैदिक शिक्षण संस्थान

पंक्तों गोलूवाला तह पिलीबंगा जिला -- हनुमानगढ़ (राजस्थान)

निर्वाचन दिनांक 18/01/2021 नई प्रबंधकारिणी

क्र. सं.	नाम मग पिता / पति नाम	व्यवसाय	पुर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1	शिव कुमार / रामेश्वर लाल	शिक्षण	हरदयाल पुरा (हनुमानगढ़.)	अध्यक्ष	
2	अनुराधा / राम नारायण	अध्ययन	गोलूवाला सिहागान	सचिव	
3	मनोहरी देवी / शंरा राम	गृहिणी	हरदयाल पुरा (हनुमानगढ़.)	उपाध्यक्ष	
4	नाथी देवी / सुल्तान राम	गृहिणी	गोलूवाला सिहागान	कोषाध्यक्ष	
5	साजित्री देवी / रामलाल वर्मा	गृहिणी	अनुपगढ़ श्री गंगानगर	सदस्य	
6	सुमन / संतराम	शिक्षण	हरदयाल पुरा (हनुमानगढ़.)	सदस्य	
7	सरस्वती / शंरा राम	गृहिणी	हरदयाल पुरा (हनुमानगढ़.)	सदस्य	
8	चन्द्रपाल / रामनारायण	दुकान दार	मटोरिया वाली ढाणी हनुमानगढ़.	सदस्य	
9	पारी देवी / चिमना राम	गृहिणी	गोलूवाला सिहागान	सदस्य	
10	अंजली / राजाराम	गृहिणी	गोलूवाला सिहागान	सदस्य	
11	राम प्रताप / जियाराम	कृषि	गोलूवाला सिहागान	सदस्य	
12	रामेश्वर लाल / सुल्तान राम	कृषि	हरदयाल पुरा (हनुमानगढ़.)	सदस्य	
13	मैना देवी / मनफुल राम	गृहिणी	गोलूवाला सिहागान	सदस्य	
14	हरफुल / रामप्रताप	शिक्षण	गोलूवाला सिहागान	सदस्य	
15	काना राम / मनीराम	कृषि	चमारखेडा गंगानगर	सदस्य	
16	रामचन्द्र / नानूराम	कृषि	हरदयाल पुरा (हनुमानगढ़.)	सदस्य	
17	राज सिंह / हरनेक सिंह	कृषि	2 के.एच. एम. पिलीबंगा	सदस्य	
18	मदन लाल / भागीरथ	दुकानदार	गोलूवाला सिहागान	सदस्य	
19	चन्द्रकांता / कान्हाराम	गृहिणी	मटोरिया वाली ढाणी (हनुमानगढ़.)	सदस्य	
20	विमला देवी / सोहन लाल	गृहिणी	उमवाला (पिलीबंगा)	सदस्य	
21	महाविद्यालय के प्रिन्सीपल पदेन सदस्य रहेंगे।				

अध्यक्ष
शिव कुमार

मंत्री
अनुराधा

कोषाध्यक्ष
नाथी देवी

राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 19-क अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए पत्र, जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ संख्या8.6.... से तक उपलब्ध हैं, की प्रमाणित प्रति हैं।

प्रमाणित प्रति देने की दिनांक: 22-1-2014

रजिस्ट्रार (संस्थाएँ)
हनुमानगढ़

जमापत्र
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

